प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, मण्डलों के आयुक्त, सभी उपायुक्त और राज्य के सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय।

दिनांक चण्डीगढ 09.05.2014

विषयः-- **स्थानान्तरण नीति : राजपत्रित अधिकारियों का गृह जिले में स्थानान्तरण।**

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर मुझे आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार के ध्यान में आया है कि कई विभाग सरकार के परिपत्र क्रमांक 45/7/1989–5जी0एस1 दिनांक 07.04.1989 तथा क्रमांक 45/22/90–5जी0एस1 दिनांक 13.09.1991 में दी गई व्यवस्था का दृढता से पालन नहीं कर रहे हैं और राजपत्रित अधिकारियों को मुख्य सचिव महोदय की पूर्व अनुमति के बिना ही अपने स्तर पर उनके गृह जिले में लगाने के आदेश जारी करके घटनोपरान्त स्वीकृति हेतु मामले को मुख्य सचिव (सामान्य सेवाएं–II) को छूट प्रदान करने हेतु भेज देते हैं जोकि उक्त हिदायतों का उल्लंघन है। अतः अनुरोध किया जाता है कि इन हिदायतों की दृढता से पालना की जाये।

भवदीय

Sd/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन
कृतेःमुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

भवदीय

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन
कृतेःमुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव
हरियाणा सरकार।

अशा0 क्रमांक 15/20/2014–1जी0एस0II

दिनांक चण्डीगढ